भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 134
(24 नवंबर, 2014 को उत्तर दिए जाने के लिए)

'मनरेगा' में परिवर्तन

134. श्री डी॰ राजाः

श्री एम॰ पी॰ अच्युतनः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में दूरगामी परिवर्तन करते हुए निधि आवंटन के मजदूरी घटक को कम कर दिया है इसके अंतर्गत कार्य के क्षेत्रों को सीमित कर दिया है और राज्यों को अपनी पंसद के किसी भी कार्य को योजना में शामिल करने का अधिकार प्रदान किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री बीरेन्द्र सिंह)

(क) और (ख) : सरकार ने दिनांक 21.07.2014 की अधिसूचना के माध्यम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की अनुसूची – I के पैरा 4 और 20 में संशोधन किए गए हैं जिसके जरिए इस बात की व्यवस्था की गई है कि लागत के संबंध में किसी जिले में किए गए कम से कम 60 प्रतिशत कार्य भूमि, जल और वृक्षारोपण विकास के माध्यम से सीधे कृषि और संबद्ध कार्यकलापों से सीधे जुडी लाभकारी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए होंगे। मनरेगा के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों की गुणवत्ता, उत्पादकता और टिकाऊपन सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए कुशल तथा अर्ध-कुशल कार्यों की मजदूरी सहित सामग्री घटक की लागत ग्राम पंचायत स्तर पर 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। ग्राम पंचायतों से भिन्न अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यों के लिए समग्र सामग्री घटक जिला स्तर पर 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

*****